संख्या-1091/एक-10-2021-33(221)/2011

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ०प्र० शासन, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 12/07/2021 for

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन बल उ० प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल उ० प्र० के एड्ज्यू-23/2021 दिनांक 31.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचन बल उ० प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान होने वाली क्षति के दमन/न्यूनीकरण हेतु उनकी व्यावसायिक दक्षता में उत्तोरोत्तर वृद्धि के लिए वाहिनी मुख्यालय एवं अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाने हेतु रू० 95,24,660/- (पन्चानबे लाख चौबीस हजार छह सौ साठ रू० मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र० सं०	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षणअवधि (सप्ताह/दिवस में)	कुल अनुमानित व्यय (रू० में)	विवरण
1	एस०डी०आर०एफ० में नव नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का सी० बी० आ० एन० /बेसिक/एडिशनल प्रशिक्षण	एन०डी०आर०एफ०	200	19 सप्ताह	20,00,000/-	10,000 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 10,000X200=20,00,000
2	स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण	कलिंगा डाइवर्स फाउण्डेशन कटक(ओडिशा)	90	04 सप्ताह	44,08,290/-	48,981 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 48,981X90=44,08,290
3	रोप रेस्क्यू प्रशिक्षण	नंदा देवी इंस्टीट्यूट	72	03 सप्ताह	18,14,400/	25,200 रू०

		ऑफ एडवेंचर स्पोर्टस (उत्तराखण्ड)			-	प्रति पशिक्षु दर 25.200X72=18.14.400
		एडवांस कोर्स				
4	टी० ओ० टी०-सी० एस० एस० आर० एण्ड एस० एफ० आर०	एन० डी० आर० एफ०	40	05 सप्ताह	4,20,000/-	10.500 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 10.500X40=4.20.000
	एम० ओ० टी०-सी० एस० एस० आर० एण्ड एस० एफ० आर०		40	01 सप्ताह	1,28,000/-	3200 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 3200X40=1.28.000
	टी० ओ० टी०-स्कूल सेफ्टी एण्ड बोरवेल रेस्क्यू		50	23 दिवस	1,60,450/-	3209 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 3209X50=1.60.450
	टी० ओ० टी०-सी० बी० आर० एन०		20	04 सप्ताह	65,500/-	3275 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 3275X20=65.500
	एम० ओ० टी०-सी० बी० आर० एन०		10	02 सप्ताह	28,020/-	2802 रू० प्रति प्रशिक्षु दर 2802X10=28.020
	योग (एडवांस कोर्स)				8,01,970/-	
5	आन्तरिक प्रशिक्षण एस० डी० आर० एफ०	मुख्यालय एस० डी० आर० एफ०	150		5,00,000/-	उपकरण हेतु, ईंधन व मटेरियल आदि
	सम्पूर्ण योग				95,24,660/-	

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत **राज्य आपदा मोचन बल उ० प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 95,24,660/- (पन्चानबे लाख चौबीस हजार छह सौ साठ रू० मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त उ०प्र०. लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक- 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 , भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्रॉफी/वीडियोग्रॉफी करायी जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नम्बर आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू० 95,24,660/- (पन्चानबे लाख चौबीस हजार छह सौ साठ रू० मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्याः- 1091(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, उ० प्र०, लखनऊ।
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र०।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Ram 13.7.21
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Signed by रणवीर प्रसाद
Date: 12-07-2021 19:31:19
Reason: Approved